Dainik Bhaskar (Indore), 22nd May 2024, Page Plus-02

सिमरोल टनल की एप्रोच रोड; मुआवजा दो, फिर काम करो

भास्कर संवाददाता | इंदौर

इंदौर-खंडवा रोड प्रोजेक्ट में सिमरोल के पास बन रही टनल के विरोध में उतरे ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। दूसरे दिन ग्रामीणों से चर्चा करने नायब तहसीलदार पहुंचे। ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि काम रुकवाने से किसी का लाभ नहीं होगा।

सिमरोल थाने पर रहवासी, निर्माण एजेंसी, पुलिस और प्रशासन के बीच बैठक हुई। सरपंच लखराज डाबी ने बताया हम निर्माण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जिस तेजी से धमाके करते हुए सड़क बनाई जा रही है, उससे घरों को बहुत नुकसान हुआ है। लगभग एक साल पहले जब लगातार ऐसे धमाके किए थे, तब कई लोगों के घरों के बोरिंग धंस गए थे, दीवारों में दरारें आ गई थीं और कुछ कच्चे मकान तो टूटने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने उनके मकानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। गांववालों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक काम आगे नहीं बढ़ने देंगे।

हमने घर ठीक करवाने का प्रस्ताव दिया है : एजेंसी

प्रोजेक्ट हेड नागेश्वर राव ने बताया पिछले साल जब ग्रामीणों ने काम रुकवाया था, तब हमने आईआईटी इंदौर से उनके मकानों का सर्वे करवाया था। आईआईटी इंदौर ने रिपोर्ट में लिखा था कि घरों में इपोक्सी ग्राउटिंग करके क्रैक भरी जा सकती है और आगे ऐसा न हो इसीलिए ब्लास्टिंग की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। फिर भी ग्रामीणों ने काम आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद ब्लास्टिंग की आधुनिक टेक्नोलॉजी- इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग के लिए भी एक नई एजेंसी को लाए, लेकिन ब्लास्टिंग के दूसरे दिन ही ग्रामीणों ने काम रोक दिया।

मुआवजा चाहिए तो कोर्ट जाएं, काम रोका तो कार्रवाई होगी

पुलिस का कहना है ग्रामीणों को मुआवजा चाहिए तो वे कोर्ट जाएं। कंपनी ने थाने में शिकायत की है। ग्रामीणों ने काम में बाधा डाली तो हमें कार्रवाई करना होगी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने रहवासियों से बात करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। फिलहाल वह समय दिया है।